

द्वितीय श्रेणी अभ्यापक सीपी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2013 प्रथम स्तर कक्षा 1 से 5 एवं द्वितीय स्तर कक्षा 6 से 8 में दरस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों के प्रत्यांकों की अंतिम कटऑफ

पृष्ठ-3 संशोधित कटऑफ

क. सं.	स्तर	द्वितीय श्रेणी अभ्यापकों के पदों का विवरण	विशालिन क्लिप गरीब पदों का विवरण	सामान्य						अल्प विद्यार्थी वर्ग						शिराज विडवा वर्ग						शिराज विडवा वर्ग						अनुपस्थित जाति						अनुपस्थित जनजाति						नि:स्तम्भ (3 श्रेणी)			दृश्यरत श्रेणियाँ	
				मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन								
1	2	सामान्य	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन					
1	प्रथम स्तर (कक्षा 1 से 5)	सामान्य	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन					
2	द्वितीय स्तर (कक्षा 6 से 8)	विशालिन-गणित	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन	मूल्यांकन					

नोट :- राज्य सरकार/मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार आरटेंट में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही दरस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। आरटेंट में 60 प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का आगामी आदेश तक दरस्तावेज सत्यापन नहीं किया जावेगा।

अभि: परीक्षा निबन्धक
मुख्य कार्याकारी अधिकारी
दिल्ली परिषद, अदालत

